आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तरीख सहित

20.02.2021

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, (राँची)।
वाद संख्या–SAR-07/2017-18
धारा–छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–71 (A)

1. भीम सिंह मुण्डा,
2. नकुल सिंह मुण्डा, दोनों पे०–स्व० रघु नाथ सिंह मुण्डा,
3. सत्य नारायण सिंह मुण्डा, पे०–स्व० दुर्गा चरण सिंह मुण्डा,

सभी साकीन–बारेन्दा, पो०–बारेन्दा,
थाना–सोनाहातु, जिला–राँची.....आवेदक / प्रथम पक्ष।

बनाम

1. हरि राम महतो, पे०–स्व० मलीन महतो,
2. योगेन्दर महतो, पे०–स्व० नानीक महतो, दोनों

साकीन–बारेन्दा टोला कल्यांतर, पो०–बारेन्दा,
थाना–सोनाहातु जिलरा–राँची.....द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता–श्री सुखदेव महतो
द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता–श्री विशेश्वर प्रसाद।

आदेश

प्रस्तुत वाद में आवेदक के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से धारा–71 (A) छो०का०अधि० के अन्तर्गत भू–वापसी हेतु आवेदन दिया गया है कि निम्नांकित जमीन पर विपक्षी ने छल प्रपंज से नाजायज ढंग से कब्जा कर लिया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा–71(ए) के तहत कार्रवाई कर जमीन को वापस दिलाया जाय। आवेदक के आवेदन को पंजीकृत कर नोटिस निर्गत करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

भूमि विवरण

मौजा	थाना थाना सं०	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा
बारेन्दा	सोनाहातु / 18	343	1505	5.23 ए०

वाद में प्रथम पक्ष अपने आवेदन में उल्लेख किये हैं कि विवादित भूमि आर. एस. खतियान में लोदो मुण्डारी, रिदो मुण्डारी, मोनो मुण्डारी सभी पेसरान रिदू मुण्डारी के नाम से दर्ज है, जो कि नावल्द मृत हो गए हैं। विवादित खाता संख्या–343 खेवट संख्या–4 / 1 के अन्तर्गत आता है, जो कि सोनिया मुण्डाईन के नाम से दर्ज है, जिसे भी छोड़ दिया गया है। विवादित आर.एस. खेवट संख्या–4 / 1 मुण्डारी खेवट है जो कि सरकार में निहित है, जो कि खेवट संख्या–02 से आया है। खेवट संख्या–02 टिकैत शिव प्रसाद सिंह देव के नाम से दर्ज है जो वर्त्तमान में सरकार में निहित है। आवेदकगण खेवट संख्या–03 के धारक हैं जो कि मंगल मुण्डा पे० बोयार मुण्डा के नाम से दर्ज है। जिसका वंशावली इस प्रकार है:– बोयार मुण्डा का एक पुत्र मंगल मुण्डा। मंगल मुण्डा का तीन पुत्र क्रमशः श्यामलाल सिंह मुण्डा (नावल्द मृत) हरि सिंह मुण्डा एवं दुर्गा चरण सिंह मुण्डा। हरि सिंह मुण्डा का एक पुत्र रघु नाथ सिंह मुण्डा, जिसका तीन पुत्र क्रमशः भीम सिंह मुण्डा (प्र०प०सं०1), अर्जुन सिंह मुण्डा (नावल्द) एवं नकुल सिंह मुण्डा (प्र०प०सं०2) हुए। दुर्गाचरण सिंह मुण्डा का एक पुत्र सत्यनारायण सिंह मुण्डा (प्र०प०सं०3) हुआ। परित्यक्त आर.एस. खेवट संख्या–4 / 1 और 4 / 2 .....

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तरीख सहित
20.02.2021.	का उत्तराधिकारी हेतु भीम सिंह मुण्डा तथा माधव सिंह मुण्डा के बीच उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची में L.P.A. no.-538/2004 तथा बंदोबस्त पदाधिकारी, राँची के न्यायालय में अपील सं०–29/2013 (सोनाहातु) में आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया हुआ। अंचल पदाधिकारी, सोनाहातु के द्वारा परित्यक्त आर.एस. खेवट सं०–4/1 एवं 4/2 का उत्तराधिकारी आवेदकगण को घोषित किया गया। जिसके पश्चात आवेदकगण के को लगान रसीद निर्गत करने के अनुसार अंचल पदाधिकारी के द्वारा पंजी।। में सुधार हेतु आदेश भी पारित किया गया। द्वितीय पक्ष आदिवासी नहीं हैं तथा पर छो०का०अधि० की धारा–46 का उल्लंघन कर 15 वर्षों से विवादित भूमि अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। जबकि आवेदकगण और न ही उनके पूर्वजों द्वारा द्वितीय पक्ष को विवादित भूमि की बिक्री ही की गयी है। अतः इसी आधार पर यह आवेदन स्वीकृत करते हुए छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा–71(ए) के तहत विवादित जमीन आवेदकगणों को वापस दिलाया जाय। द्वितीय पक्ष अपने कारण पृच्छा में उल्लेख किया है कि द्वितीय पक्ष के पिता मानिक महतो पिता समल महतो के ग्राम–पुइला टाड़ के नाम से दिनांक 03.04.1961 ई० को सादा हुकमनामा–पत्र मोबलिक 210 रू० नरजाराना लेकर जमीन दाता शुकरमनी जौजे घासु मुण्डा मुतोवफा जात–मुण्डा टोला भतरी आड़ीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची से बन्दोबस्ती पट्टा लिख दिया है। विवादित भूमि लोदो मुण्डारी पेशरान रीझु मुण्डारी व हारू मुण्डारी पेशरान भदो मुण्डारी के नाम से आर.एस. खतियान में दर्ज है। जिसके खतियानी रैयत ने दिनांक–04.04.1960 ई० को जमीन्दार शुकरमनी जौजे घासु मुण्डा से मोवलिक 55 रू० लेकर इश्तिफा नामा लिख दिया है। द्वितीय पक्ष के सदस्य दिनांक–03.04.1961 ई० से हुकुमनामा लेने के बाद से आज तक उक्त जमीन पर शांति पूर्वक दखल कब्जा में रहकर चास आबाद कर खेती बारी करते आ रहे हैं। विवादित भूमि अंचल पदाधिकारी, सोनाहातु राँची के द्वारा सरकारी मालगुजारी रसीद दिनांक–04.04.1961 ई० से लगातार मानिक महतो के नाम से करते आ रहे हैं। उक्त भूमि के पंजी।। में मानिक महतो का नाम दर्ज पाया गया है साथ ही हाल सर्वे बण्डा पर्चा में भी मानिक महतो के नाम से दर्ज पाया गया है। विवादित भूमि खेवट सं०–4/1 का है तथा प्रथम पक्ष के सदस्य खेवट नं० 03 का वंशज है एवं प्रथम पक्ष का जमीन बिलकुल ही निराधार है। विवादित भूमि पर प्रथम पक्ष एक दिन के लिए भी हक एवं दखल में वो सरोकार में नहीं है। उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष करीब 59 वर्षों से लेकर आज तक शंति पूर्वक दखल कार रहते हुए चास, आबाद खेती बारी करते आ रहा है। इस प्रकार यह वाद चलने लायक नहीं है, काबिले खारिज करने योग्य है। द्वितीय पक्ष की ओर से अपने समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज समर्पित किए गए:– 1. हुकुमनामा पत्र। 2. इस्तिफानामा पत्र। 3. पंजी।। 4. ऑनलाईन रसीद। 5. ऑफलाईन रसीद। 6. खतियान। 7. खेवट नं०–4/1।	

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तरीख सहित

20.02.2021.

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अपने कारण पृच्छा में कहते हैं कि–द्वितीय पक्ष ने अपने कारण पृच्छा में उल्लेख किये हैं कि खतियानी रैयत लोदो मुण्डारी वगैरह ने दिनांक–04.04.1960 ई० को जमीन्दार शुकरमनी जौजे घासु मुण्डा से मोवलिक 55 रू० लेकर इश्तिफा नामा लिख दिया है। जो कि गलत एवं फर्जी है क्योंकि जमींदार को भूमि इस्तीफा तभी दिया जाता है जब रैयत लगान नहीं दे पाता है। द्वितीय पक्ष अपने कारण पृच्छा में उल्लेख किए हैं कि द्वितीय पक्ष ने जमींदार मो० सोनिया को 210/– देकर दिनांक–03.04.1961 को प्राप्त किए हैं जो भी गलत एवं फर्जी है क्योंकि खेवट संख्या–4/1 के जमींदार मो० सोनिया को 1960 से पहले ही छोड़ दिया गया। इसलिए विवादित भूमि के इस्तीफा और बंदोबस्त का प्रश्न ही नहीं उठता है। द्वितीय पक्ष जिस डीड का दावा कर रहे हैं वह सादा डीड है जिसे कभी भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर भूमि का हस्तांतरण आदिवासी से गैरआदिवासी से हुआ है जो छो०का०अधि० की धारा–46 का उल्लंघन है। इसके अलावा विपक्षी ने अपने कारण पृच्छा के पारा–16 में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि प्रथम पक्ष की भूमि है। साथ ही अंचल अधिकारी के कार्यालय का पंजी।। kutcha documents है क्योंकि उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति विवादित भूमि पर अधिकार वो स्वत्व का दावा नहीं कर सकता है।

प्रथम पक्ष की ओर से अपने समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज समर्पित किए गए:–

1. खाता संख्या–343 खतियान की छायाप्रति।
2. L.P.A. no.-538/2004 की छायाप्रति।
3. अपील वाद संख्या–29/2013 (सोनाहातु) का छायाप्रति।
4. उत्तराधिकारी नामांतरण वाद संख्या–03/2015–16 का छायाप्रति।
5. 2006 (3) J.C.R. 97 (SC) नियमन की छायाप्रति।
6. 2003 (4) J.C.R. 233 (Jhr) नियमन की छायाप्रति।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि विवादित भूमि पर प्रथम पक्ष विवादित भूमि के खेवट संख्या–4/1 और 4/2 के उत्तराधिकारी होने के आधार पर दावा करते हैं। जबकि विपक्षी द्वारा के सादा हुकुमनामा के आधार पर विवादित भूमि पर दावा कर रहे हैं। विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत सादा दिनांक–03.04.1961 ई० का है जो कि जमींदारी उन्मूलन के बाद का है, निराधार है साथ ही विवादित भूमि के नामांतरण में छो०का०अधि० 1908 की धारा–46 का उल्लंघन हुआ है। जहाँ तक एडभर्स पोजेसन 30 वर्ष का प्रश्न है तो छो०का०अधि० के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1947 के पूर्व भूमि हस्तांतरण हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन, 1969 के अन्तर्गत यदि 8.2.1969 के ठीक पूर्व यदि किसी व्यक्ति को एडभर्स पोजेसन के द्वारा 12 वर्ष बीत जाने पर अधिकार हो गया हो वहाँ 30 वर्ष की अवधि का काल अवरोध लागु नहीं होगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदकगणों के द्वारा भू–वापसी हेतु दायर आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि कथित भूमि आवेदक को वापस करना सुनिश्चित करेंगे। विपक्षी द्वारा कथित भूमि आवेदकगणों को वापस नहीं करने की स्थिति में अंचल अधिकारी, सोनाहातु को निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदक को आवेदित भूमि पर दखल दिलाना सुनिश्चित करेंगे साथ ही अनुपालन प्रतिवेदन से न्यायालय को भी संसूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2021.08.17 12:35:30 +05:30
Location: 10.93.79.5

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू राँची।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू राँची।